



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]
No. 397]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 1988/आषाढ़ 29, 1910
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 1988/ASADHA 29, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1988

अधिसूचना

सा. का.नि. 804(अ) केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)
की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) नियम,
1984 का संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाती है अर्थात्

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन नियम,
1988 है।

1906 GI/88

(1)

(2) ये रजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हेतु रजपत्र (द्वितीय) बोर्ड कर्मचारियों (छुट्टी) विनियम, 1984 में,—

(क) नियम 10 में,—

(i) उपनियम (2) और उपनियम (5) में, "180 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "240 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (6) के परन्तुक में, "90 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "120 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 12 में,—

(i) उपनियम (1) में और नियम (2) के प्रथम परन्तुक में, "180 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "240 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) के द्वितीय परन्तुक में, "90 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "120 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. जी-35012/4/88-वित्त-II]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र (प्रकाशरण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 12 अप्रैल, 1984 में सा. का.नि. सं. 277(अ) के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 20th July, 1988.

NOTIFICATION

G.S.R. 804 (E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Oil Industry (Development) Board Employees' (Leave) Rules, 1984, namely:—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry (Development) Board Employees' (Leave) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry (Development) Board Employees' (Leave) Rules, 1984,—

(a) in rule 10,—

(i) in sub-rule (2) and sub-rule (5), for the figures and word "180 days", the figures and word "240 days" shall be substituted;

55
8

- (ii) in the proviso to sub-rule (6), for the figures and word "90 days", the figures and word "120 days" shall be substituted ;
- (b) in rule 12, —
- (i) in sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2), for the figures and word "180 days" the figures and word "240 days" shall be substituted ;
- (ii) in the second proviso to sub-rule (2), for the figures and word "90 days" the figures and word "120 days" shall be substituted.

[No. G-35012/4/88-Fin. II]

S. GOPALAKRISHNAN, Director.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary) in Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 12th April, 1984 as GSR-277 (E).

